

अत्यन्त महत्वपूर्ण  
विधानसभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
कार्यालय उद्योग आयुक्त  
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र  
पटपड़गंज, दिल्ली-92

फा० सं सी.आई./डी.सी.आई./क्यू.सी./2018/५२६-५२८ दिनांक: ३ - ८ - २०१८

सेवा में,

उप सचिव(प्रश्न शाखा)  
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
पुराना सचिवालय, दिल्ली -54.

विषय: दिल्ली विधानसभा ~~मंत्री~~/अतारांकित प्रश्न संख्या 182 दिनांक 08.08.2018 को  
सदन की बैठक हेतु।

महोदय,


आपको उपरोक्त विषय में उद्घत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय  
मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

मवदीया,  
  
(लक्ष्मी कृष्णन)  
उपायुक्त उद्योग (प्र०शा०)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की  
दो प्रतियां सहित।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर  
की 150 प्रतियों सहित।


  
उपायुक्त उद्योग (प्र०शा०)

**विभाग का नाम :- कार्यालय आयुक्त उद्योग  
विभाग का पता:-कार्यालय आयुक्त उद्योग,  
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली-110092**

अतारांकित प्रश्न संख्या: 182  
 दिनांक : 08/08/2018  
 प्रश्नकर्ता का नाम : श्री गिरीश सोनी

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में डीएसआईआईडीसी के कितने शेड हैं;	मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में डीएसआईआईडीसी के 190 शेड हैं जिसे आबंटियों को लाइसेंस डीड/हायर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर आबंटित किया गया है।
(ख)	इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की है;	( ख से ध ) इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी क्रमशः लाइसेंस डीड के पैरा 18, 19 तथा 21 व हायर परचेज एग्रीमेंट के पैरा 3 तथा 13 के अनुसार आबंटियों की है।
(ग)	इन शेड्स की मरम्मत कब-कब की गई, पूर्ण विवरण दें; और	
(घ)	इन शेड्स की पुनः कब मरम्मत की जाएगी ?	

  
 (विनोद कुमार)  
 उपायुक्त (उद्योग)